उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या- 197 /2025/1124/चार-2025- 1914516
लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2025

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पत्र सं०-मु०वि०अ०/चि०पू००/2021-22/43437, दिनांक 27.12.2024 के द्वारा स्व० महोसिन नूरी, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, क्षेत्रीय अभिलेखागार, आगरा के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय के सापेक्ष स्व० मोहसिन नूरी, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, क्षेत्रीय अभिलेखागार, आगरा के समस्त बिल बाउचर्स के परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 5,76.662/- के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 49-चिकित्सा व्यय मद से उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ को प्रदान करने का अनुरोध निदेशक, संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या-6193/सं0नि0-6(चि0प्र0पू0 प्रकरण)/2023-24 दिनांक 27.03.2025 द्वारा किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 यथासंशोधित 2014 के आलोक में स्व० मोहसिन नूरी के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय कुल धनराशि **रू0 5,76,562/- (रू० पाँच लाख छियत्तर हजार पाँच सौ बासठ मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

3- इस संबंध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में अनुदान सं0-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव-
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
(4) वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ
(6) निदेशक, राजकीय अभिलेखागार, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में ससमय भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) श्रीमती यास्मीन फातिमा पत्नी स्व0 मोहसिन नूरी।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।